रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2017/माघ 17, 1938
No. 317] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2017/MAGHA 17, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

का.आ. 351(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

और, रीछ के संरक्षण और परिरक्षण की लंबी अवधि के मुख्य उद्देश्य के साथ और दुर्लभ और लुप्तप्राय जैविक विविधता के, आरक्षित वन 3674.59 हेक्टेयर में और संरक्षित वन 14104.368 हेक्टेयर में, 287.33 हेक्टेयर में सम्मिलित राजस्व भूमि, गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अमीरगढ़ और दांतीवाडा तालुकाओं में कुल क्षेत्र 18066.28 हेक्टेयर में विस्तृत है जिसमें जेसोर वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचना सं. जीएच-केएच-65/78-डब्ल्यूएलपी/2077/2077/62041-पी दिनांक 6 मई, 1978 के रूप में घोषित किया गया था;

और, जेसोर वन में प्रचुर वनस्पति जैव विविधता के साथ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और रेगिस्तान कंटीले वन के रूप में वर्गीकृत है और स्तनधारियों, सरीसृपों, कीड़ों और पक्षी जीवों की विविधता भी है और क्षेत्र में महत्वपूर्ण नदियों जैसे सीपू और बनास का जलग्रहण क्षेत्र है, बनासकांठा जिले की जल कोष्ठक की रिचार्जिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है;

और, अभयारण्य में 12 उभयचरों की प्रजातियां, 45 सरीसृपों की प्रजातियां, 212 पक्षियों की प्रजातियां और 30 स्तनधारियों की प्रजातियां का वास है, रीछ (मेलोसेरस अरसिनस) जेस्सोर वन्यजीव अभयारण्य की मुख्य प्रजाति है और अभयारण्य क्षेत्र में तेंदुआ (पैंथरा पार्दस) शीर्ष शिकारियों में से एक है जिसका वास यहां है और क्षेत्र की अन्य प्रमुख हड्डियों वाली प्रजातियों में धारीदार लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, सियार, भारतीय लोमड़ी, सामान्य लंगूर, नील गाय, चूहा, हाथी, भारतीय साल, चमगादड़, साही आदि सम्मिलित हैं;

और, जेस्सोर वन्यजीव अभयारण्य में बृहत वनस्पति और जीव जन्तु विविधता के साथ कई दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों सहित संपन्न है और अभयारण्य में कुल 487 पौधों की प्रजातियां है जिसमें 110 वृक्षों की प्रजाति, 58 झाड़ियों की प्रजातियां, 83 पर्वतारोहियों की प्रजातियां, एक पेटरीडोफाइट की प्रजाति और 235 जड़ी बूटियों, सेजों और घासों की प्रजातियां सम्मिलित हैं;

और, अभयारण्य के अत्यंत बंद आसपास के क्षेत्र में मानव बस्ती, चल रही विकासात्मक क्रियाकलाप, औद्योगीकरण और खनन क्रियाकलाप अभयारण्य के चारों ओर है, उचित सुरक्षा उपायों और नियंत्रण की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए लंबी अवधि के वन्यजीव संरक्षण की क्रियाकलाप जरुरी है;

और, जेसोर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जेसोर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 4.00 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को जेसोर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य में अमीरगढ़ और दांतीवाड़ा तालुकों में जेसोर वन में पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

(1) **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1)** पारिस्थितिक संवेदी जोन जेसोर वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र 30254 हेक्टेयर (अभयारण्य की सीमा से 4 किलोमीटर) है जिसमें अमीरगढ़, दांतीवाड़ा और पालनपुर तालुकों के 30 ग्राम शामिल हैं।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र और भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिंदु क्रमश: **उपाबंध I** और **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) सीमा वर्णन के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है |

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव ;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व ;

(v) नगर विकास ;

(vi) पर्यटन ;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 20, 26, 33 और सं. 36 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना;

(ii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;

(iii) वर्षा जल संचयन;

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं;

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, गुजरात सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, गुजरात सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** –पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण समिति वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि.343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां - सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी और क्षेत्र में गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की न्यूनतम 50 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट के प्रावधान को स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी ।

(13) **प्लास्टिक के उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक थैलों का उपयोग नहीं करेगा और प्लास्टिक वस्तुओं को निपटाने के लिए सख्ती से विनियमित होगी ।

(14) **जागरूकता -** पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक ग्राम में राज्य सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग में प्रकृति शिक्षा और पर्यावरणीय जागरूकता अभियान विनियमित किया जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान के महत्व और उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006, और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014, के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	नए उद्योगों के कारण प्रदूषण (जल, वायु, मिट्टी, ध्वनि, आदि) की स्थापना।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। कृषि आधारित लघु उद्योगों, को गुजरात सरकार के नियमों के रूप में विनियमित किया जाएगा ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	गुजरात सरकार के मानदंडों के अनुसार होंगे ।
5.	नई बृहत ताप विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	मध्यम धनत्व के फाइबर बोर्ड/ पार्टिकल बोर्ड की स्थापना।.	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	वाणिज्यिक हेलीकाप्टर सेवा।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
12.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं :

		परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा ।
13.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क)संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी । ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	प्लास्टिक के बैंगों का दुकानदारों द्वारा उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
18.	बिजली के तारों और दूरसंचार टावरों का निर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	ट्रांसफार्मर और उपस्टेशन का निर्माण।	वन्यजीव मृत्यु या चोट की घटनाओं को कम करने के लिए बनाई गई योजना के क्रियाकलाप ।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
21.	कृषि और अन्य उपयोग (भू-जल की निकासी) के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि।	क्रियाकलाप में मानव और वन्यजीव के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए सख्ती की जाएगी, सहित अच्छी तरह से रेलिंग के संनिर्माण अनिवार्य और क्रियाकलाप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निगरानी सख्ती से की जाएगी ।

22.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू कानून के तहत वाणिज्यिक उद्देश्य और 30 किलोमीटर की गति सीमा के लिए विनियमित / घंटे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए रखा जाना चाहिए।
23.	वायु, यानिक और ध्वनि प्रदूषण ।	लागू कानूनों के अधीन विनियमित होंगे और सीमा के भीतर होगें।
24.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
27.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन टी एफ पी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100% आयातित काष्ठ स्टाक उपभोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी ।
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू कानून के तहत विनियमित होंगे। मुख्य वन्यजीव वार्डन की अनुमति के साथ किया जा सकता है।
30.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पारिस्थितिक पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
33.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
34.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जा सके।
38.	कृषि वानिकी, कृषि संचालन जिसके अंतर्गत बागवानी, उद्यान कृषि और फलों उद्यान भी हैं ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. **पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-** (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1986 का 29), केंद्रीय सरकार, जेस्सोर पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	कलेक्टर, बनासकांथा	-अध्यक्ष;
(ख)	भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
(ग)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
(घ)	क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बनासकांथा	-सदस्य;
(ड.)	क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार	-सदस्य;
(च)	गुजरात सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
(छ)	पारिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में गुजरात सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
(ज)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	-सदस्य;
(झ)	उप वन संरक्षक (जेसोर वन्यजीव अभयारण्य के प्रभारी), बनासकांथा	-सदस्य- सचिव।

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/33/2016-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर मुख्य बिन्दुओं के भू-निर्देशांक और मानचित्र

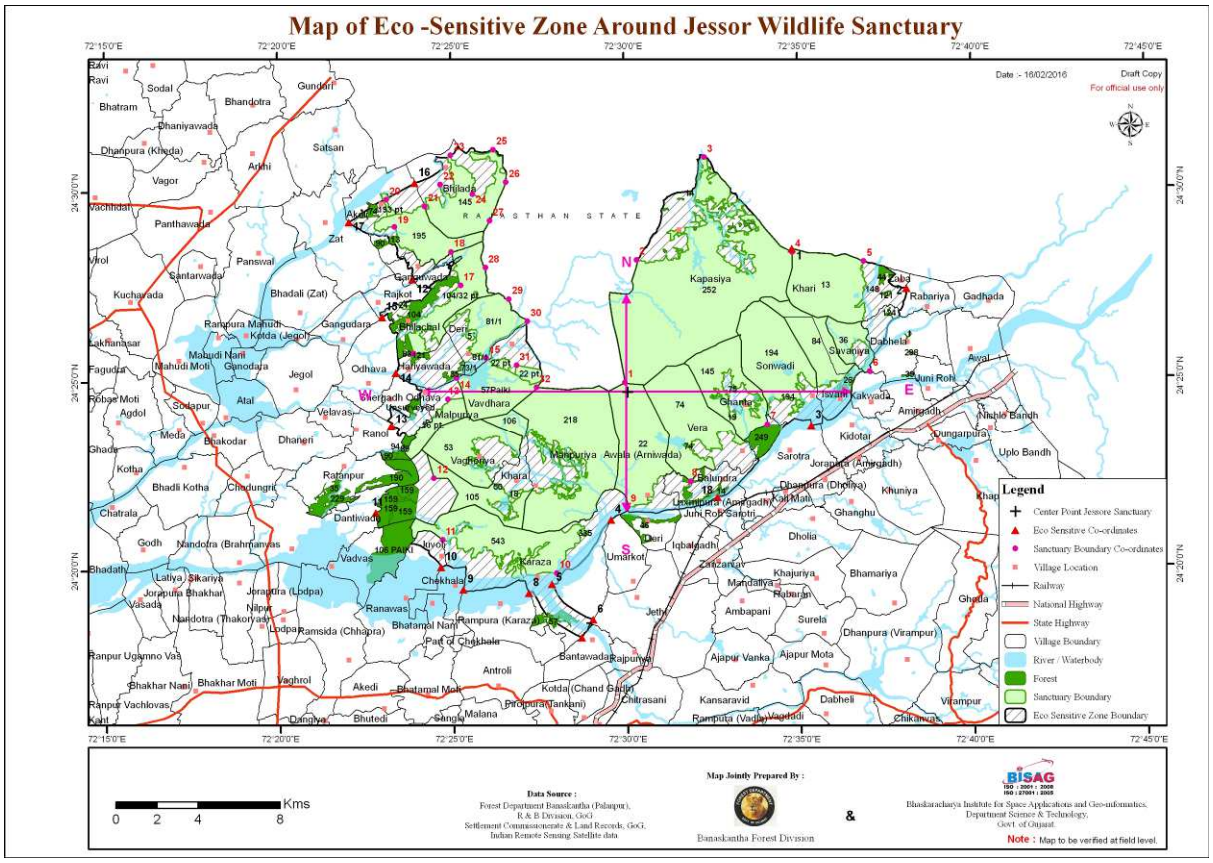

उपाबंध II

क. जेसोर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	24°24' 55.027" उ	72°29' 58.669" पू
2	24°28' 8.624" उ	72°30' 20.075" पू
3	24°30' 50.069" उ	72°32' 18.041" पू
4	24°28' 19.266" उ	72°34' 49.615" पू
5	24°28' 3.848" उ	72°36' 52.954" पू
6	24°25' 10.002" उ	72°37' 2.054" पू
7	24°23' 47.179" उ	72°34' 4.387" पू
8	24°22' 16.607" उ	72°31' 51.489" पू
9	24°21' 36.545" उ	72°30' 1.763" पू
10	24°19' 52.970" उ	72°27' 58.390" पू
11	24°20' 46.789" उ	72°24' 41.714" पू
12	24°22' 24.452" उ	72°24' 27.461" पू
13	24°24' 30.108" उ	72°24' 52.599" पू
14	24°25' 3.870" उ	72°25' 7.690" पू
15	24°25' 34.996" उ	72°25' 58.785" पू
16	24°25' 42.735" उ	72°23' 53.924" पू
17	24°27' 30.013" उ	72°25' 15.615" पू
18	24°28' 22.980" उ	72°24' 59.383" पू
19	24°29' 3.464" उ	72°23' 21.693" पू
20	24°29' 46.152" उ	72°23' 7.850" पू
21	24°29' 35.176" उ	72°24' 14.318" पू
22	24°30' 9.464" उ	72°24' 41.473" पू
23	24°30' 55.822" उ	72°24' 59.578" पू
24	24°29' 54.308" उ	72°25' 37.279" पू
25	24°31' 4.234" उ	72°26' 13.346" पू
26	24°30' 12.497" उ	72°26' 34.704" पू
27	24°29' 11.976" उ	72°26' 6.365" पू
28	24°27' 57.976" उ	72°25' 58.506" पू
29	24°27' 7.973" उ	72°26' 38.659" पू
30	24°26' 32.784" उ	72°27' 10.739" पू
31	24°25' 23.241" उ	72°26' 51.410" पू
32	24°24' 48.118" उ	72°27' 25.554" पू

ख. पारिस्थितिक संवेदी जोन के जेसोर वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	उ24° 28' 25.273"	पू72° 34' 49.035"
2	उ24° 27' 21.291"	पू 72° 38' 6.551"
3	उ24° 23' 45.355"	पू 72° 35' 20.579"
4	उ24° 21' 16.844"	पू 72° 29' 33.136"
5	उ24° 19' 36.166"	पू72° 27' 50.245"
6	उ24° 18' 39.394"	पू72° 29' 1.074"
7	उ24° 18' 11.637"	पू72° 28' 41.309"
8	उ24° 19' 22.242"	पू72° 27' 10.391"
9	उ24° 19' 28.107"	पू72° 25' 17.017"
10	उ24° 20' 3.994"	पू72° 24' 38.704"
11	उ24° 21' 30.615"	पू72° 22' 46.291"
12	उ24° 27' 40.127"	पू72° 23' 51.940"
13	उ24° 23' 48.843"	पू72° 23' 14.061"
14	उ24° 25' 12.744"	पू72° 23' 22.606"
15	उ24° 26' 40.738"	पू72° 22' 59.443"
16	उ24° 30' 12.669"	पू72° 23' 56.845"
17	उ24° 29' 11.260"	पू72° 22' 2.722"
18	उ24° 21' 51.779"	पू72° 32' 37.217"

उपाबंध - III

पारिस्थितिक संवेदी जोन में सीमा विवरण में सम्मिलित ग्राम सर्वे संख्या का वर्णन

क्र.सं	तालुका	ग्रामों के नाम	सर्वे सं.	पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र हेक्टेयर	सीमाएं	
1	अमीरगढ़	अवाला	सभी राजस्व सर्वे सं.	1637.9715	उत्तर	राजस्थान राज्य सीमा
					पूर्व	वीरा-अरनिवाडा-बलुन्दरा ग्राम सीमा
					दक्षिण	बनस नदी
					पश्चिम	मनपुरिया ग्राम सीमा
2	-यही होगा-	बलुन्दरा	सभी राजस्व सर्वे सं.	856.3472	उत्तर	वीरा ग्राम सीमा
					पूर्व	सरोतरा ग्राम सीमा
					दक्षिण	बनस नदी
					पश्चिम	अवाला-अरनिवाडा ग्राम सीमा
3	-यही होगा-	दाभेला	ग्राम का भाग	302.2562	उत्तर	खारी ग्राम सीमा
					पूर्व	बनस नदी और S.No. 135, 136, 139, 145, 146, 149, 150, 153, 151, 152, 75, 76, 74, 73, 77, 64, 65
					दक्षिण	बनस नदी
					पश्चिम	सवनिया ग्राम सीमा
4	-यही होगा-	घंटा	सभी राजस्व सर्वे सं	963.4175	उत्तर	कपसिया ग्राम सीमा
					पूर्व	कोटर में सोनावाडी ग्राम सीमा

					दक्षिण	सरोतरा ग्राम सीमा
					पश्चिम	वीरा ग्राम सीमा
5	-यही होगा-	इसवानी	सभी राजस्व सर्वे सं	808.335	उत्तर	खारी ग्राम सीमा
					पूर्व	सवनिया ग्राम सीमा
					दक्षिण	बनस नदी
					पश्चिम	सोनावाडी ग्राम सीमा
6	-यही होगा-	कपासिया	सभी राजस्व सर्वे सं	5347.4522	उत्तर	राजस्थान राज्य सीमा
					पूर्व	राजस्थान राज्य सीमा और खारी ग्राम सीमा
					दक्षिण	सोनावाडी, घंटा और वीरा ग्राम सीमा
					पश्चिम	राजस्थान राज्य सीमा
7	-यही होगा-	खारा	सभी राजस्व सर्वे सं	347.1514	उत्तर	वावधारा ट. दंतीवाडा और मनपुरिया ग्राम सीमा
					पूर्व	मनपुरिया ग्राम सीमा
					दक्षिण	करजा ग्राम सीमा
					पश्चिम	दांतीवाड़ा और वघोदिया ग्राम सीमा
8	-यही होगा-	खारी	सभी राजस्व सर्वे सं	1542.015	उत्तर	राजस्थान राज्य सीमा
					पूर्व	जबार और रबरिया ग्राम सीमा
					दक्षिण	दभेला, सवनिया और इसवानी ग्राम सीमा
					पश्चिम	कपासिया और सोनावाडी ग्राम सीमा
9	-यही होगा-	मनपुरिया	सभी राजस्व सर्वे सं	2828.9279	उत्तर	वावधार ग्राम और राज्स्थान राज्य सीमा
					पूर्व	अवाला ग्राम सीमा
					दक्षिण	करजा ग्राम सीमा
					पश्चिम	खारा ग्राम सीमा
10	-यही होगा-	सरोतरा	ग्राम का भाग	253.3529	उत्तर	घंटा ग्राम सीमा
					पूर्व	260, 251, सोनावाडी ग्राम सीमा
					दक्षिण	बनस नदी
					पश्चिम	वीरा में बलुन्दरा ग्राम सीमा और सर्वे सं. 248
11	-यही होगा-	सवनिया	सभी राजस्व सर्वे सं	532.1778	उत्तर	खारी ग्राम सीमा
					पूर्व	दभेला ग्राम सीमा
					दक्षिण	बनस नदी भाग
					पश्चिम	इसवानी ग्राम सीमा
12	-यही होगा-	सोनावादी	सभी राजस्व सर्वे सं	1053.7037	उत्तर	कपासिया ग्राम सीमा
					पूर्व	इसवानी ग्राम सीमा
					दक्षिण	बनस नदी
					पश्चिम	सरोतरा और घंटा ग्राम सीमा
13	-यही होगा-	वघोदिया	सभी राजस्व सर्वे सं	1019.4051	उत्तर	मलपुरिया, वावधारा ट. दंतीवाडा और खारा ग्राम सीमा
					पूर्व	खारा ग्राम सीमा
					दक्षिण	खारा ग्राम सीमा
					पश्चिम	मलपुरिया ट. दंतीवाडा ग्राम सीमा
14	-यही होगा-	वीरा	सभी राजस्व सर्वे सं	1539.8662	उत्तर	कपासिया ग्राम सीमा
					पूर्व	घंटा और सरोतरा ग्राम सीमा
					दक्षिण	बलुन्दरा ग्राम सीमा
					पश्चिम	अवाला अरनिवाडा ग्राम सीमा
15	दंतीवाडा	अकोली	ग्राम का भाग	1093.5754	उत्तर	भिलाडा ग्राम सीमा
					पूर्व	भिलाडा ग्राम सीमा

					दक्षिण	गंगूवाडा ग्राम सीमा
					पश्चिम	नदी, सर्वे सं.105,100,99,98,97,95,91,89,88,87, धोला नो वहरो
16	-यही होगा-	भीलाचल	सभी राजस्व सर्वे सं	1113.749	उत्तर	अकोली, राजकोट और गंगूवाडा ग्राम सीमा
					पूर्व	राजस्थान राज्य सीमा
					दक्षिण	हरयावाडा और देरी ग्राम सीमा
					पश्चिम	ओधवा ग्राम सीमा
17	-यही होगा-	भीलदा	ग्राम का भाग	1442.69	उत्तर	राजस्थान राज्य सीमा,सीपू नदी, सर्वे सं. 4, 6, 10, 11, 13, 26
					पूर्व	भीलदा ग्राम सीमा
					दक्षिण	भीलाचल ग्राम सीमा
					पश्चिम	अकोली ग्राम सीमा
18	-यही होगा-	दंतीवाड़ा	ग्राम का भाग, 159 सर्वे सं.	740.14	उत्तर	सर्वे सं. 158 और रतनपुर धानावाडा ग्राम सीमा
					पूर्व	लूखा और ज़लारा पहाड़ी
					दक्षिण	वदवस ग्राम सीमा
					पश्चिम	मलीवस पारा ग्राम और सर्वे सं.14,13,179,164,163,162,161 और 160
19	-यही होगा-	देरी	सभी राजस्व सर्वे सं	796.3986	उत्तर	भीलाचल ग्राम सीमा
					पूर्व	राजस्थान राज्य सीमा
					दक्षिण	ववधारा ग्राम सीमा
					पश्चिम	हरयावाडा ग्राम सीमा
20	-यही होगा-	गंगूवाडा	ग्राम का भाग	131.6219	उत्तर	अकोली ग्राम सीमा
					पूर्व	भीलदा सर्वे सं.1, 2, 3, 4 वन सीमा
					दक्षिण	भीलाचल ग्राम सीमा
					पश्चिम	सर्वे सं.57, 65, 66 और वनकदो नदी
21	-यही होगा-	हरयावाडा	सभी राजस्व सर्वे सं	799.9831	उत्तर	भीलाचल ग्राम सीमा
					पूर्व	देरी ग्राम सीमा
					दक्षिण	ओधवा, मलपुरिया ग्राम सीमा
					पश्चिम	ओधवा ग्राम सीमा
22	पालनपुर	जूवोल (करजा)	ग्राम का भाग	161.8077	उत्तर	खारा ग्राम सीमा
					पूर्व	खारा ग्राम सीमा
					दक्षिण	दंतीवाड़ा बांध जलमग्न क्षेत्र (जल निकाय)
					पश्चिम	वदवस ग्राम सीमा
23	आमिरगढ़	करजा	ग्राम का भाग	2679.5639	उत्तर	मनपुरिया और खारा ग्राम सीमा
					पूर्व	अवाला ग्राम सीमा और बनस नदी
					दक्षिण	बनस नदी
					पश्चिम	वदवस दंतीवाड़ा और जूवोल ग्राम सीमा
24	दंतीवाड़ा	मालपुरिया	सभी राजस्व सर्वे सं	449.7043	उत्तर	हरयावाडा ग्राम सीमा
					पूर्व	ववधारा और वघोदिया ग्राम सीमा
					दक्षिण	रतनपुर और रनोल ग्राम सीमा
					पश्चिम	रनोल और शेरगढ़ ग्राम सीमा
25	-यही होगा-	रनोल	ग्राम का भाग	66.5	उत्तर	शेरगढ़ ग्राम सीमा
					पूर्व	मालपुरिया ग्राम सीमा
					दक्षिण	रतनपुर ग्राम सीमा
					पश्चिम	सर्वे सं. 21, 22, 66, 84, 85, 86, 87, 88, 89 कोटर, 98, 97, 96, 95, 101, 93, 92, 110.

26	-यही होगा-	रतनपुर	ग्राम का भाग	140.89	उत्तर	रनोल ग्राम सीमा
					पूर्व	रानीटंक दुंगर भाग ग्राम और खारा ग्राम सीमा
					दक्षिण	दंतीवाड़ा ग्राम सीमा
					पश्चिम	सर्वे सं. 226, 178, 181, 228, 178, 47, 177, 243, होलो और अटल वसहत ग्राम स्थल
27	-यही होगा-	शेरगढ़ (ओधवा)	ग्राम का भाग	277.6779	उत्तर	हरयावाडा ग्राम सीमा
					पूर्व	मालपुरिया ग्राम सीमा
					दक्षिण	रनोल ग्राम सीमा
					पश्चिम	सर्वे सं. 58, 51, 52, 67, 70, 71, 7, 14, 15, 16, 57, 4, 9, 12, 11.
28	-यही होगा-	ववधारा	सभी राजस्व सर्वे सं	985.5195	उत्तर	देरी ग्राम सीमा
					पूर्व	राजस्थान राज्य सीमा
					दक्षिण	मनपुरिया, खारा और वघोदिया ट. आमिरगढ़ ग्राम सीमा
					पश्चिम	मालपुरिया ग्राम सीमा
29	-यही होगा-	वदवस	ग्राम का भाग	84.75	उत्तर	दंतीवाड़ा सर्वे सं. 159 पीटी वन भूमि
					पूर्व	करजा जूवोल ग्राम सीमा
					दक्षिण	दंतीवाड़ा से रतनपुर- करजा- जूवोल ग्राम सड़क ।
					पश्चिम	सर्वे सं. 43 और कोटर
30	वन्यजीव गलियारा	करजा	ग्राम का भाग	257.16		
	कुल हेक्टेयर			30254.1109		

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2017

S.O. 351(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, with the prime aim of long term protection and conservation of Sloth Bear and the rare and endangered biological diversity, the 3674.59 hectares of Reserve forest and 14104.368 hectares protected forest, including 287.33 hectares of Revenue land, totally 18066.28 hectares in Taluka of Amirgadh and Dantivada in Banaskantha district in the state of Gujarat was declared as Jessore Wildlife Sanctuary vide Notification no. GH-KH-65/ 78- WLP/ 2077/ 62041-P dated the 6th May, 1978;

AND WHEREAS, Jessore forest is categorised as Tropical Dry Deciduous and Desert Thorn Forest, with rich plant biodiversity and also varieties of mammals, reptiles, insects and avifauna and the area is catchment of important rivers like Sipu and Banas, playing an important role in recharging the water table of Banaskantha district;

AND WHEREAS, the sanctuary is home to 12 species of amphibians, 45 species of reptiles, 212 species of birds, and 30 species of mammals, sloth bear (*Melursus ursinus*) is the flagship species of the Jessore Wildlife Sanctuary and the leopard (*Pathera pardus*) is one of the top predators inhabiting the sanctuary area and the other major vertebrate species of the area include the striped hyaena, jungle cat, jackal, Indian fox, common langur, nilgai, rats, hedgehog, Indian pangolin, bats, procupine etc.;

AND WHEREAS, the Jessore Wildlife Sanctuary is endowed with a great floral and faunal diversity including many rare and endangered species and the sanctuary has a total of 487 species of plants which include 110 species of trees, 58 species of shrubs, 83 species of climbers, one species of pteridophyte and 235 species of herbs, sedges and grasses;

AND WHEREAS, the extremely closed vicinity of the sanctuary to human habitation, ongoing developmental activities, industrialisation and mining activities around the Sanctuary, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities in view of long term wildlife conservation;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Jessore Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub - section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to 4.00 kilometers from the boundary of the protected area of the Jessore Wildlife Sanctuary in the Jessore Forest in Amirgadh and Dantivada Talukas in the State of Gujarat as the Jessore Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after called as Eco-sensitive Zone).

1. Extent and Boundaries of Jessore Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone.- (1) Jessore Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone shall be with a peripheral area of about 30254 hectares (4 kilometers from the boundary of the sanctuary) including 30 villages of Amirgadh, Dantivada and Palanpur Talukas.

(2) The map and Global Positioning System points of the Eco-sensitive Zone is appended to this notification as Annexure-I and Annexure-II, respectively.

(3) The list of the villages along with their boundary description within the proposed Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-III.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**-Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents, and for the activities listed at item numbers 20, 26, 33 and 36 specified under column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) small scale industries not causing pollution;

(iii) rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Gujarat in consultation with Department of Environment and Forest, Government of Gujarat.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units**. - On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone and the non-polluting industries in the region may be considered with the provision of a minimum of 50 meter wide green belt.

(13) **Use of Plastics**. - No person shall use plastic carry bags within the Eco-sensitive Zone area and the disposal of plastic articles shall be strictly regulated.

(14) **Awareness. -** The Environment and Forests Department of the State Government shall regularly carry out nature education and environmental awareness campaigns in each village falling in Eco-sensitive Zone, highlighting the importance and usefulness of the National Park.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Table

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for the domestic needs of bona fide local residents. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04 August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	All polluting industries will be prohibited and no new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Agro-based small scale industries, will be regulated as per Government of Gujarat regulations.
4.	Use or production of any hazardous substances.	As per Government of Gujarat norms.
5.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting up of Medium Density Fibreboard/ Particle Board.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Setting up of brick klins.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial Helicopter Services.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

Regulated Activities		
11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
13.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the sanctuary area by hot air baloon.	Regulated under applicable law.
14.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within One Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided further that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-snsitive Zone, construction for *bona fide* local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
15.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable law.
16.	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated under applicable law.
17.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
18.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
19.	Erection of transformers and substations.	The activity should be so planned as to minimise incidents of wildlife mortality or injury.
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.

	roads.	
21.	Open well, Bore Well, etc for agriculture or other usage (extraction of ground water).	The activity should strictly follow safety norms for humans and wildlife, including compulsory construction of well parapet and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws and the speed limit of 30 kilometers/hour should be maintained for safety of wildlife.
23.	Air, vehicular and noise pollution.	Regulated under applicable laws and be within the limit.
24.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
26.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
27.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
28.	New Wood Based industry.	No establishment of new Wood based industry shall be permitted within the units of Eco-sensitive Zone: Provided that new Wood based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using 100% imported wood stock.
29.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws. May be undertaken with the permission of Chief Wildlife Warden.
30.	Solid Waste Management including use of plastic bags.	Regulated under applicable laws.
31.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc. to be promoted.
38.	Agricultural operations including plantation, horticulture and orchards.	Permitted under applicable law.
39.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Environment Awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee:-** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Jessore Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of this notification and the Monitoring Committee shall consist of following members, namely:-

(a) Collector, Banaskantha - Chairperson;

(b) A representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Member;

(c) A representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India - Member;

(d) Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board, Banaskantha - Member;

(e) Senior Town Planner of the area - Member;

(f) A representative of the Department of Forest and Environment, Government of Gujarat - Member;

(g) One expert in the area of Ecology and Environment to be nominated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Member;

(h) Member, State Biodiversity Board – Member;

(i) Deputy Conservator of Forests (In Charge of the Jessore Wildlife Sanctuary), Banaskantha - Member Secretary.

6. Terms of Reference:-

(1) The tenure of the Monitoring committee is for a period of three (3) years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro- forma given at **Annexure-IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/33/2016-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Map and Geo-Coordinates of major points on the boundary of Sanctuary and the Eco-sensitive Zone

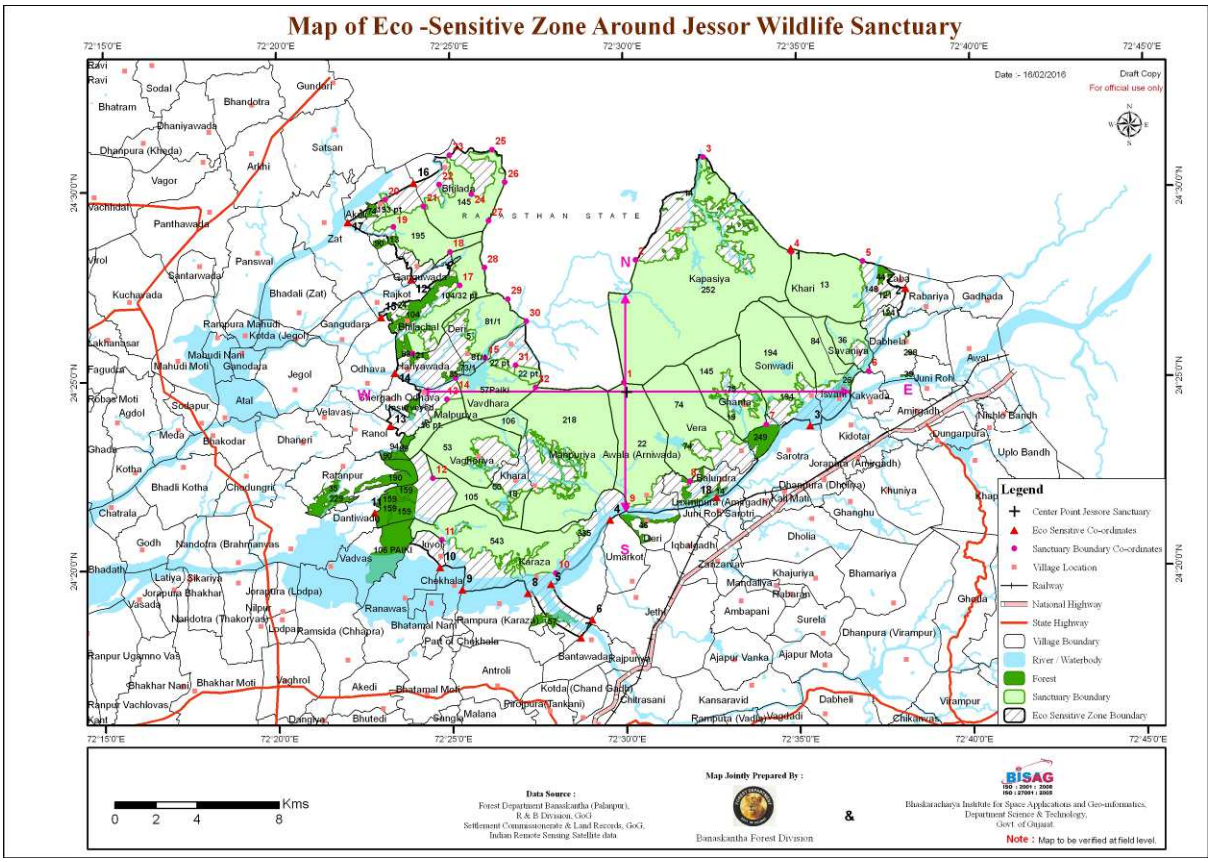

Annexure II

A. Jessore Wildlife Sanctuary Boundary Co-ordinates

Sr. No.	Latitude	Longitude
1	24°24' 55.027" N	72°29' 58.669" E
2	24°28' 8.624" N	72°30' 20.075" E
3	24°30' 50.069" N	72°32' 18.041" E
4	24°28' 19.266" N	72°34' 49.615" E
5	24°28' 3.848" N	72°36' 52.954" E
6	24°25' 10.002" N	72°37' 2.054" E
7	24°23' 47.179" N	72°34' 4.387" E
8	24°22' 16.607" N	72°31' 51.489" E
9	24°21' 36.545" N	72°30' 1.763" E
10	24°19' 52.970" N	72°27' 58.390" E
11	24°20' 46.789" N	72°24' 41.714" E
12	24°22' 24.452" N	72°24' 27.461" E
13	24°24' 30.108" N	72°24' 52.599" E
14	24°25' 3.870" N	72°25' 7.690" E

15	24°25' 34.996" N	72°25' 58.785" E
16	24°25' 42.735" N	72°23' 53.924" E
17	24°27' 30.013" N	72°25' 15.615" E
18	24°28' 22.980" N	72°24' 59.383" E
19	24°29' 3.464" N	72°23' 21.693" E
20	24°29' 46.152" N	72°23' 7.850" E
21	24°29' 35.176" N	72°24' 14.318" E
22	24°30' 9.464" N	72°24' 41.473" E
23	24°30' 55.822" N	72°24' 59.578" E
24	24°29' 54.308" N	72°25' 37.279" E
25	24°31' 4.234" N	72°26' 13.346" E
26	24°30' 12.497" N	72°26' 34.704" E
27	24°29' 11.976" N	72°26' 6.365" E
28	24°27' 57.976" N	72°25' 58.506" E
29	24°27' 7.973" N	72°26' 38.659" E
30	24°26' 32.784" N	72°27' 10.739" E
31	24°25' 23.241" N	72°26' 51.410" E
32	24°24' 48.118" N	72°27' 25.554" E

B. Jessore Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone Co-ordinates

Sr. No.	Latitude	Longitude
1	N24° 28' 25.273"	E72° 34' 49.035"
2	N24° 27' 21.291"	E72° 38' 6.551"
3	N24° 23' 45.355"	E72° 35' 20.579"
4	N24° 21' 16.844"	E72° 29' 33.136"
5	N24° 19' 36.166"	E72° 27' 50.245"
6	N24° 18' 39.394"	E72° 29' 1.074"
7	N24° 18' 11.637"	E72° 28' 41.309"
8	N24° 19' 22.242"	E72° 27' 10.391"
9	N24° 19' 28.107"	E72° 25' 17.017"
10	N24° 20' 3.994"	E72° 24' 38.704"
11	N24° 21' 30.615"	E72° 22' 46.291"
12	N24° 27' 40.127"	E72° 23' 51.940"
13	N24° 23' 48.843"	E72° 23' 14.061"
14	N24° 25' 12.744"	E72° 23' 22.606"
15	N24° 26' 40.738"	E72° 22' 59.443"
16	N24° 30' 12.669"	E72° 23' 56.845"
17	N24° 29' 11.260"	E72° 22' 2.722"
18	N24° 21' 51.779"	E72° 32' 37.217"

Annexure - III

Boundary description including the details of villages survey numbers in the Eco-sensitive Zone

Sl. No.	Taluka	Name of village	Survey No.	Eco-sensitive Area ha.	Boundaries	
1	Amirgadh	Avala	All Revenue Survey No.	1637.9715	North	Rajasthan State Boundary
					East	Vera - Aranivada - Balundra Village Boundary
					South	Banas River
					West	Manpuriya Village Boundary
2	-do-	Balundra	All Revenue Survey No.	856.3472	North	Vera Village Boundary
					East	Sarotra Village Boundary
					South	Banas River
					West	Avala-ArnivadaVillage Boundary
3	-do-	Dabhela	Part of Village	302.2562	North	Khari Village Boundary
					East	Banas River & S.No. 135, 136, 139, 145, 146, 149, 150, 153, 151, 152, 75, 76, 74, 73, 77, 64, 65
					South	Banas River
					West	Sawaniya Village Boundary
4	-do-	Ghanta	All Revenue Survey No.	963.4175	North	Kapasiya Village Boundary
					East	Sonawadi Village Boundary in Kotar
					South	Sarotra Village Boundary
					West	Vera Village Boundary
5	-do-	Isawani	All Revenue Survey No.	808.335	North	Khari Village Boundary
					East	Sawaniya Village Boundary
					South	Banas River
					West	Sonawadi Village Boundary
6	-do-	Kapasiya	All Revenue Survey No.	5347.4522	North	Rajasthan State Boundary
					East	Rajasthan State Boundary & Khari Village Boundary
					South	Sonwadi, Ghanta & Vera Village Boundary
					West	Rajasthan State Boundary
7	-do-	Khara	All Revenue Survey No.	347.1514	North	Vavdhara Ta. Dantiwada & Manpuriya Village Boundary
					East	Manpuriya Village Boundary
					South	Karaza Village Boudary
					West	Dantiwada & Vaghodiya Village Boudary
8	-do-	Khari	All Revenue Survey No.	1542.015	North	Rajsthan State Boundary
					East	Zabar & Rabariya Village Boundary
					South	Dabhela, Sawaniya & Iswani Village Boudary
					West	Kapasiya & Sonwadi Village Boudary
9	-do-	Manpuriya	All Revenue Survey No.	2828.9279	North	Vavddhar Village & Rajsthan State Boudary
					East	Avala Village Boudary
					South	Karaza Village Boudary
					West	Khara Village Boudary
10	-do-	Sarotra	Part of Village	253.3529	North	Ghanta Village Boudary
					East	260, 251, Sonwadi Village Boudary

					South	Banas River
					West	Vera in Balundra Village Boudary & S.No. 248
11	-do-	Sawaniya	All Revenue Survey No.	532.1778	North	Khari Village Boudary
					East	Dabhela Village Boudary
					South	Banas River Part
					West	Isawani Village Boudary
12	-do-	Sonvadi	All Revenue Survey No.	1053.7037	North	Kapasiya Village Boudary
					East	Isawani Village Boudary
					South	Banas River
					West	Sarotra & Ghanta Village Boudary
13	-do-	Vaghodiya	All Revenue Survey No.	1019.4051	North	Malpuriya, Vavdhara Ta. Dantiwada & Khara Village Boudary
					East	Khara Village Boudary
					South	Khara Village Boudary
					West	Malpuriya Ta. Dantiwada Village Boudary
14	-do-	Vera	All Revenue Survey No.	1539.8662	North	Kapasiya Village Boudary
					East	Ghanta & Sarotra Village Boudary
					South	Balundra Village Boudary
					West	Avala Arniwada Village Boudary
15	Dantiwada	Akoli	Part of Village	1093.5754	North	Bhilada Village Boudary
					East	Bhilada Village Boudary
					South	Ganguwada Village Boudary
					West	River,Survey No.105,100,99,98,97,95,91,89,88,87, Dhola no Vahro
16	-do-	Bhilachal	All Revenue Survey No.	1113.749	North	Akoli,Rajkot & Ganguwada Village Boudary
					East	Rajsthan State Boundary
					South	Haryawada & Deri Village Boudary
					West	Odhva Village Boudary
17	-do-	Bhilda	Part of Village	1442.69	North	Rajsthan State Boundary,Sipu River,S.No. 4, 6, 10, 11, 13, 26
					East	Bhilda Village Boudary
					South	Bhilachal Village Boudary
					West	Akoli Village Boudary
18	-do-	Dantiwada	Part of Village, 159 S.No.	740.14	North	S.No.158 & Ratanpur Dhanawada Village Boudary
					East	Lukha & Zalara Hil
					South	Vadvas Village Boudary
					West	Malivas Para Village & S.No.14,13,179,164,163,162,161 & 160
19	-do-	Deri	All Revenue Survey No.	796.3986	North	Bhilachal Village Boudary
					East	Rajsthan State Boundary
					South	Vavdhara Village Boudary
					West	Hairyawada Village Boudary
20	-do-	Ganguwada	Part of Village	131.6219	North	Akoli Village Boudary
					East	Bhilda S.No. 1, 2, 3, 4 Forest Boundary
					South	Bhilachal Village Boudary

					West	S.No. 57, 65, 66 & Vankdo River
21	-do-	Hariyawada	All Revenue Survey No.	799.9831	North	Bhilachal Village Boudary
					East	Deri Village Boudary
					South	Odhava, Malpuriya Village Boudary
					West	Odhava Village Boudary
22	Palanpur	Juvol(Karaza)	Part of Village	161.8077	North	Khara Village Boudary
					East	Khara Village Boudary
					South	Dantiwada Dam Submargance Area (Water Body)
					West	Vadvas Village Boudary
23	Amirgadh	Karaza	Part of Village	2679.5639	North	Manpuriya & Khara Village Boudary
					East	Avala Village Boudary & Banas River
					South	Banas River
					West	Vadvas Dantiwada & Juvol Village Boudary
24	Dantiwada	Malpuriya	All Revenue Survey No.	449.7043	North	Hariyawada Village Boudary
					East	Vavdhara & Vaghodiya Village Boudary
					South	Ratanpur & Ranol Village Boudary
					West	Ranol & Shergadh Village Boudary
25	-do-	Ranol	Part of Village	66.5	North	Shergadh Village Boudary
					East	Malpuriya Village Boudary
					South	Ratanpur Village Boudary
					West	S. No. 21, 22, 66, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Kotar, 98, 97, 96, 95, 101, 93, 92, 110.
26	-do-	Ratanpur	Part of Village	140.89	North	Ranol Village Boudary
					East	Ranitunk Dungar Part Village & Khara Village Boudary
					South	Dantiwada Village Boudary
					West	S. No. 226, 178, 181, 228, 178, 47, 177, 243, holo & Atal Vasahat Village Site
27	-do-	Sergadh(Odhava)	Part of Village	277.6779	North	Hariyavada Village Boudary
					East	Malpuriya Village Boudary
					South	Ranol Village Boudary
					West	S. No. 58, 51, 52, 67, 70, 71, 7, 14, 15, 16, 57, 4, 9, 12, 11.
28	-do-	Vavdhara	All Revenue Survey No.	985.5195	North	Deri Village Boudary
					East	Rajsthan State Boundary
					South	Manpuriya, Khara & Vaghodiya Ta. Amirgadh Village Boudary
					West	Malpuriya Village Boudary
29	-do-	Vadavas	Part of Village	84.75	North	Dantiwada S. No. 159pt Forest Land
					East	Karza Juol Village Boudary
					South	Dantiwada To Ratanpur- Karza-Juol Village Road.
					West	S. No. 43 & Kotar
30	Wildlife Corridor	Karza	Part of Village	257.16		
	Total Ha.			30254.1109		

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.10 01:50:39 +05'30'